



बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग
बिहार राज्य एड्स नियंत्रण समिति
राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान भवन

शेखपुरा, पटना-800014
E-mail-office@bsacs.org

Phone No. 0612-2290278

Fax No. 0612-2282082

दिनांक-04/11/2013

पत्रांक-3099

प्रेषक,

संजीव कुमार सिन्हा, भा0प्र0से0

परियोजना निदेशक

सेवा में,

जिला पदाधिकारी-सह-अध्यक्ष, जिला शिकायत निवारण समिति

अररिया/औरंगाबाद/ अरवल/ बांका/ बेगूसराय/ कैमूर/ भोजपुर/ बक्सर/ भागलपुर/
दरभंगा/ लखीसराय/ पूर्वी चंपारण/ गया/ कटिहार/ जहानाबाद/ गोपालगंज/ छपरा/
जमुई/ खगड़िया/ किशनगंज/ मधेपुरा/ मधुबनी/ मुंगेर/ मुजफ्फरपुर/ नालंदा/ नवादा/
पटना/ पूर्णिया/ रोहतास/ सहरसा/ समस्तीपुर/ शिवहर/ सीतामढ़ी/ सिवान/ सुपौल/
वैशाली/ पश्चिमी चंपारण/ शेखपुरा

विषय- अस्पतालों में चिकित्सीय उपचार हेतु आनेवाले एच0 आई0 वी0 संक्रमित व्यक्तियों के साथ होनेवाले भेदभाव एवं अन्य समस्याओं के ससमय निष्पादन करने के संबंध में।

महाशय,

उपरोक्त विषय के संबंध में कहना है कि स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार और बिहार राज्य एड्स नियंत्रण समिति, पटना को एच0 आई0 वी0 संक्रमित मरीजों के संबंध में शिकायत प्राप्त हुई है कि उनके उपचार में तत्परता नहीं बरती गयी। इस संबंध में स्वास्थ्य विभाग के स्तर पर समीक्षा की गयी तथा यह निर्णय लिया गया कि चूँकि एच0 आई0 वी0 संक्रमित मरीजों की चिकित्सीय स्थिति सामान्यतः अच्छी नहीं होती है। अतः यदि सरकारी अस्पतालों में वैसे मरीज उपचार के लिये आते हैं, तो उनके मामलों में बिना भेदभाव के तत्परता से कार्रवाई की जाय। इस संबंध में विशेष निर्देश निम्न प्रकार दिये जाते हैं-

(1) बिहार के सभी चिकित्सा महाविद्यालय अस्पतालों में एच0 आई0 वी0 संक्रमित व्यक्तियों के साथ होनेवाले भेदभाव, उपचार, दवाइयों तथा अन्य समस्याओं का ससमय निष्पादन हेतु एक समिति गठित किया जाय। साथ ही सदर अस्पतालों के लिये एक नोडल पदाधिकारी नामित किया जाय।


(2) बिहार के सभी चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल के अधीक्षक और सदर अस्पताल के सिविल सर्जन की देख-रेख में एक शिकायत पुस्तिका उपलब्ध हो, जिसके आधार पर एच0 आई0 वी0 संक्रमित व्यक्तियों के स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का त्वरित निष्पादन किया जा सके।

2. उपरोक्त निदेश महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे यदि कियी भी स्तर पर आपके क्षेत्राधीन अवस्थित सरकारी अस्पतालों में एच0 आई0 वी0 संक्रमित मरीजों के साथ कोई भेदभाव हो रहा हो या उन समस्याओं का निष्पादन नहीं हो रहा हो तो उपरोक्त प्रक्रिया के अनुसार शीघ्रता से उसपर कार्रवाई हो पाएगी।

3. अतः आपसे अनुरोध है कि चूँकि उपरोक्त सभी बिंदु प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जिला शिकायत निवारण समिति (District Grievance Redressal Committee) के दायरे में आता है, इसलिये अपने स्तर से इस पर कार्रवाई करें तथा की गयी कार्रवाई के संबंध में प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार को अवगत करते हुए प्रतिलिपि बिहार राज्य एड्स नियंत्रण समिति, पटना को भेजने की कृपा करें।

अनुलग्नक- जिला शिकायत निवारण समिति (District Grievance Redressal Committee) के गठन से संबंधित अधिसूचना की छायाप्रति।

विश्वासभाजन


परियोजना निदेशक

ज्ञापांक- 3099

प्रतिलिपि-

प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार को सूचनार्थ प्रेषित।

पटना, दिनांक- 04.11.13

ज्ञापांक- 3099

प्रतिलिपि

परियोजना निदेशक

पटना, दिनांक- 04.11.13

1. अधीक्षक- पी0 एम0 सी0 एच0, पटना/एन0 एम0 सी0 एच0, पटना/ एस0 के0 एम0 सी0 एच0, मुजफ्फरपुर/ डी0 एम0 सी0 एच0, दरभंगा/ ए0 एन0 एम0 एम0 सी0 एच0, गया/ जे0 एल0 एन0 एम0 सी0 एच0, भागलपुर को सूचनार्थ एवं आक्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
2. सिविल सर्जन- अररिया/औरंगाबाद/ अरवल/ बांका/ बेगूसराय/ कैमूर/ भोजपुर/ बक्सर/ भागलपुर/ दरभंगा/ लखीसराय/ पूर्वी चंपारण/ गया/ कटिहार/ जहानाबाद/ गोपालगंज/ छपरा/ जमुई/ खगड़िया/ किशनगंज/ मधेपुरा/ मधुबनी/ मुंगेर/ मुजफ्फरपुर/ नालंदा/ नवादा/ पटना/ पूर्णिया/ रोहतास/ सहरसा/ समस्तीपुर/ शिवहर/ सीतामढ़ी/ सिवान/सुपौल/ वैशाली/ पश्चिमी चंपारण/ शेखपुरा को सूचनार्थ एवं आक्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर परियोजना निदेशक